न्यायालय अपर सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंच, जिला जालौन।
मूलवाद संख्या I–127/2017
श्रीमती रामश्री आदि बनाम दयाराम आदि
दिनांक–19.07.2023

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

पत्रावली आज वाद बिन्दु विरचन हेतु नियत है।

उभयपक्षों को सुलह समझौता हेतु धारा 89 सी0पी0सी0 के अर्न्तगत प्रेरित किया गयां। उभय पक्ष द्वारा इनकार किया गया। ऐसे में उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद बिन्दु विरचित किए जाते है–

1– **क्या वादिनी पक्ष के कथनों के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति में वादिनी पक्ष प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 व 3 के साथ सह–खातेदार एवं सह–स्वामी है?**
2– **क्या वादिनी पक्ष को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद का कारण उत्पन्न हुआ?**
3– **क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है? एवं प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?**
4– **क्या प्रतिवादी धारा 35ए, सी0पी0सी0 के अर्न्तगत विशेष हर्जा प्राप्त करने का अधिकारी है?**
5– **अनुतोष?**

उपरोक्त वाद बिन्दु के अन्यथा कोई वाद बिन्दु पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विरचित नहीं होता है एवं न ही किसी पक्ष द्वारा इस हेतु कोई बल दिया गया।

पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थनापत्र 7ग2 दिनांक 13.09.2023 को पेश हो।

(मोहित निर्वाल)
अपर सिविल जज (जू.डि.)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोंच, जिला जालौन